न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
270/2020	10.11.2020	22.05.2024

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. शिवराम पिता मोहनलाल खटीक सांखला निवासी पांसल
2. नगर विकास न्यास भीलवाड़ा

विपक्षीगण

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :—

—: निर्णय :—

दिनांक 22.05.2024

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 896 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा भूमि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर इसमें से 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि नगर विकास न्यास भीलवाडा के 200 फीट रिंग रोड़ हेतु गै0 मु0 सड़क दर्ज हुई शेष आराजी नम्बर 896 रकबा 0.12 बिस्वा रहा। आराजी नम्बर 896 पुरा ही नक्शा लट्ठाशीट अनुसार रिंग रोड़ में आ रहा है। नामान्तरण पर चस्पा नक्शा ट्रेस अनुसार शेष रकबा दक्षिण दिशा में बस्ता है। जिसका रकबा 04 बिस्वा बनता है। आराजी नम्बर 896 रकबा 12 बिस्वा भूमि शिवराम पिता मोहनलाल खटीक के नाम दर्ज है। अतः आराजी नम्बर 896 व 896/1 की नक्शा लट्ठाशीट में तरमीम कराए जाने के आदेश की प्रार्थना की है। प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी आराजी नम्बर 896/1 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि की नगर विकास न्याास भीलवाड़ा के नाम दर्ज होने की जमाबन्दी एवं आराजी नम्बर 896 का नक्शा ट्रेस एवं 896 रकबा 12 बिस्वा भूमि शिवराम खटीक के नाम दर्ज होने की जमाबन्दी एवं ग्राम पांसल के नामान्तकरण संख्या 3840 में आराजी नम्बर 896 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा भूमि जो शिवराम पिता मोहन लाल खटीक के नाम दर्ज होकर भूमि अवाप्ती प्रकरण संख्या 154/2007 यूआईटी अनुसार 896/1 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि नगर विकास न्यास भीलवाडा के नाम दर्ज होने एवं शेष 12 बिस्वा भूमि खातेदार के नाम दर्ज होने की नामान्तकरण की प्रतिलिपि संलग्न की है। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार भीलवाड़ा से जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ। अतएव

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

<u>आदेश</u>

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर जांच प्रतिवेदन कमांक/भू. अ. /2023/718 दिनांक 29.03.2023 अनुसार स्वीकार किया जाकर ग्राम पांसल के आराजी नम्बर 3136 में से पूर्वी दिशा में बट्टा नम्बर में 4579/3136 रकबा 1.14 बिघा की राजस्व नक्शे में तरमीम करने के आदेश दिए जाते है एवं शेष रकबा मूल आराजी नम्बर 3136 का रकबा 05 बिस्वा रहेगा। आदेश का जांच प्रतिवेदन कमांक/भू. अ. /2023/718 दिनांक 29.03.2023 एवं शपथ पत्र विपक्षीगण संख्या 01 से 02 आदेश का पार्ट रहेगा। निर्णय की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार भीलवाड़ा को प्रेषित की जाए।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा